आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्यूक्ति
18.8.18	यह अपील वाद श्री इफ्तेखार महमूद, साडम (बोकारो) द्वारा लाया गया है। अपील स्वीकार का संज्ञान लेते हुए प्रतिवादी के रुप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को नोटिस निर्गत किया गया। निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष उपस्थित होते रहे। अपीलकर्ता द्वारा गोमिया प्रखण्ड में पंचायत–होसिर पूर्वी, होसिर पश्चिमी, ललपनिया, कोदवाटाड़, तुलबुल, साडम पूर्वी, साडम पश्चिमी, बांध, स्वांग दक्षिणी तथा धवैया पंचायत से संबधित 326 लाभान्वितों की सूची समर्पित की है। अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया कि उक्त सूची में शामिल सूची लाभान्वित अत्यन्त गरीब और PH कार्ड के लिये योग्य है। इस सूची को DGRO के समक्ष कार्रवाई हेतु अपीलकर्ता के द्वारा आवेदन किया गया था। लेकिन निर्धारित 30 दिनों की अवधि तक कोई कार्रवाई नहीं होने के फलस्वरुप आयोग के समक्ष अपील दायर की गई। प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में प्रभारी पणन सचिव उपस्थित हुए। अपीलवाद में अपीलकर्ता द्वारा मुख्यतः निम्न बिन्दु बताए गए :– 1. PH / अंत्योदय कार्ड उपलब्ध कराया जाय। 2. पूर्व में PH कार्ड के योग्यता धारी 27 आवेदक को सफेद राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है, को सुधार कर PH / अंत्योदय कार्ड उपलब्ध कराया जाय। 3. आवेदन बुलवा देवी, प्रदीप केवट तथा किरण देवी का ऑनलाईन आवेदन दाखिल नहीं हो पर रहा है, को आवेदन भरवाना सुनिश्चित की जाय। अपीलकर्ता द्वारा समर्पित सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी के संयुक्त प्रयास से 27 सफेद कार्डधारी को छोड़ कर सभी आवेदन में आवेदनों को ऑनलाईन कर दिया गया। सुनवाई के क्रम में प्रतिवादी प्रभारी, प्रखण्ड पणन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि प्राप्त सूची में सभी आवेदनों के आवेदन को ऑनलाईन कर दिया गया है। चूंकि रिक्ती के अभाव में राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा रहा है। 27 सफेद राशन कार्डधारियों के क्रम में भी रिक्ती होने पर PH / अंत्योदय कार्ड उपलब्ध करा देने की बातें कही गई। 3 आवदेन को पुनः पूर्ण छानबीन कर ऑनलाईन कराने का आश्वासन प्रतिवादी द्वारा दिया गया। उभय पक्षों के दावों प्रतिदावों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग निम्नांकित आदेश पारित करता है :– 1. प्रतिवादी (जिला आपूर्ति पदाधिकारी) वाद में निहित सूची, जो	

कि ऑनलाईन आवेदन कर दी गई है, को तत्काल प्रभाव से PH/अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाय।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के तहत योग्य लाभान्वितों को खाद्य सुरक्षा के तहत अच्छादित करना अनिवार्य है।

2. वैसे 27 लाभान्वित, जिन्हें सफेद कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, को तत्काल छानबीन कर PH/अंत्योदय कार्ड में परिणत किया जाय।
3. पूरे जिले में अभियान चला कर अयोग्य राशन कार्ड (PH/अंत्योदय) धारी को चिन्हित कर रद्दीकरण की कार्रवाई की जाय।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।